यह निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय ज़िला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्यालय ज़िला परियोजना अधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) बागेश्वर ,के माह 05/2015 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी , श्री राजा रंजन राव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री गौरव पंत वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05/03/2019 से 13/03/2019 तक श्री टी0एस0 नेगी लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री राजबहादुर, श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाक -22/05/2015 से 02/06/2015 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी , जिसमे माह 12/2013 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा मे माह -05/2015 से 02/2019 तक के अभिलेखो की जांच की गयी है।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा ज़िला स्तर पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे क्रिया कलाप ,सुविधायों, कला संस्कृति आदि कार्यो का क्रियान्वयन स्वछता अभियान आदि। इकाई कार्यालय ज़िला अधिकारी कार्यालय से 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र°सं°	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि°	बचत
		प्रा°शे°	आवंटन	व्यय	प्रा°शे°	आवंटन	व्यय	(+)	
1	16-2015	-	-	-	-	1580.48	1552.49	-	27.99
2	17-2016	-	-	-	27.99	2063.95	2048.54	-	43.4
3	18-2017	-	-	-	43.4	2749.43	2742.31	-	50.52
4	19-2018 2019/01) (तक	-	-	-	50.52	874.90	732.97	-	192.45

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**			**प्राप्त धनराशि**		**(रु लाख मे)**	
	सर्व शिक्षा) (अभियान	**प्रा° शेष**	**वर्ष के दौरान आवंटन**	**विविध प्राप्ति(ब्याज आदि)**	**कुल प्राप्ति**	**व्यय**	**बचत**
16-2015			1580.48	-	1580.48	1552.49	27.99
2016-17		27.99	2063.95	-	2091.94	2048.54	43.4
18-2017		43.4	274943.	-	2792.83	2742.31	50.52
-018 त18/12)19 (क		50.52	874.90	-	925.42	732.97	192.45

(ii) इकाई को बजट आवंटन ,राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते इकाई की श्रेणी "बी " है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

राज्य परियोजना निदेशक
↓
अपर परियोजना निदेशक
↓
मुख्य शिक्षा अधिकारी
↓
ज़िला परियोजना आधिकारी
↓
उप ज़िला परियोजना आधिकारी

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में , कार्यालय ज़िला परियोजना आधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथकपृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय ज़िला -परियोजना आधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/ 2016&12/2018को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। ----प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद ,कर्तव्य) महालेखापरीक्षक के-के अधीन बनाये गये नियंत्रक 149 14 की धारा (1971 ,डी पी सी एक्ट) 1971 ,अधिनियम (शक्तियां तथा सेवा की शर्तेलेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम , 2007तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग –2 "ब"

प्रस्तर 1 - विद्यालय शिक्षा समिति (S.M.C) **के खातों में रु 38.97 लाख धनराशि का अवरोधन|**

इकाई के Annual works plan & Budget 2017-18 के अनुसार commitments for the year 2017-18 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु थे –

- State will complete all the pending civil works in 2017-18.
- State will ensure inspection and evaluation of all the primary and upper primary schools.

सिविल कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के विध्यालय प्रबंधन समितियों को पुनर्निर्माण व वृहद मरम्मत कार्यों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गई थी किन्तु विभिन्न कारणों(जैसे ,छात्र संख्या सून्य होने,जिला योजना में कार्य कराये जाने ,smc द्वारा कार्य करने में असमर्थता,विधयुतिकरण नही होने ,विवाद एवं जमीन उपलब्ध न हो पाना) से अवमुक्त /बची हुई धनराशि रु 38.97 लाख विगत 1 से लेकर 8 वर्षों से smc के बैंक खातों में निष्क्रिय रखी गई है |

विवरण निम्नलिखित है–

(धनराशि रु में)

	विध्यालय का नाम	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत/ अवमुक्त धनराशि**	**व्यय**	**अवशेष ,विध्यालय के पास**	**अभ्युक्ति**
1	रा०हाईस्कूल रतबे (बाउंड्रीवाल)	2011 -12	625000	197000	428000	जिला योजना द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है	
2	प्रा०वि०जुनायल (वृहद नि० कार्य)	2011 -12	199300		199300	SMC को दी गई धनराशि द्वारा कार्य करने में असमर्थता
3	उ०प्रा०वि० शीशाखानी (वृहद नि० कार्य)	2011 -12	156200		156200	उ ० प्रा० वि ० बद्रीनाथ में हस्तांतरण हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ली गई	
4	प्रा० वि० सूपी (विध्युतिकरण)	2010 -11	20000		20000	माइक्रोहायडिल द्वारा कार्य कराया जाना था ,विध्युतिकरण नाही किया गया	
5	प्रा०वि०सैन (वृहद म ० कार्य)	2016 -17	100000		100000	पुनर्निर्माण कार्य होने के कारण

6	प्रा०वि०हथरसिया (पुनर्निर्माण)	2016 -17	1286000		1266710	विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही	
7	प्रा०वि०देवतोली (वृहद नि० कार्य)	2016 -17	100000		100000	जिला योजना से निर्माण कार्य किया जा रहा है	
8	प्रा०वि०रोलयाना (वृहद नि० कार्य)	2016 -17	295000		295000	प्रा० वि ० पंचौड़ा में हस्तांतरण हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ली गई	
9	प्रा० वि०लखनीबगीचा (पुनर्निर्माण)	2014 -15	1118000	16770	1101230	रजिस्ट्री की जमीन उपलब्ध न होना	
10	प्रा०वि०लखनीबगीचा (बा ० शौचालय)	2012 -13	55000		55000	तदेव
11	प्रा० वि० चमोली नवीन (बाउंड्रीवाल)	2011 -12	468000	311000	157000	छात्र संख्या सून्य होने के कारण विध्यालय बंद है,हस्तांतरण हेतु अनुमति ली गई है	
	कुल				रु38,97,730.00	

नियमानुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे पुनर्निर्माण व वृहद मरम्मत कार्य जो उपर्युक्त कारणों से शुरू नही किए जा सके,की अवशेष धनराशि को smc द्वारा जिला परियोजना कार्यालय को वापस किया जाना अपेक्षित था ताकि उक्त धनराशि को उन विद्यालयों को हस्तांतरित किया जा सके जहां आवश्यकता थी। इकाई द्वारा प्रभावी अनुरक्षण न होने के कारण उक्त सिविल कार्यों को अवमुक्त धनराशि रु 38.98 लाख SMC के खातों में निष्क्रिय पड़ी थी |

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कुछ कार्य विद्यालयों में धनराशि कम होने के कारण शुरू नही हो रहे है एवं कुछ विद्यालयों में जमीन नही मिलने के कारण शुरू नही हो रहे है तथा इकाई द्वारा सभी SMC को धनराशि की जरूरत वाले विद्यालयों को हस्तांतरण हेतु पत्राचार किया जा रहा है | उपरोक्त कार्यों के अनुश्रवण के संदर्भ में बताया गया कि बेसिक /S.S.A की अनुश्रवण पंजिका एक होने से तथा अभी उपलब्ध नही कराई जा सकती है |

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव में SMC खातों में रु 38.98 लाख धनराशि का अवरोधन एक से आठ वर्ष तक हुआ|

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है |

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर 2: 248.52 लाख की धनराशि के अग्रिमों का असमायोजित रहना।

सर्वशिक्षा अभियान की वित्तीय प्रबन्ध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका के पैरा 74.1 के अनुसार सभी अग्रिम संलग्नक VI में दिये गये नमूने के अनुसार अग्रिम रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे। पैरा 74.2 के अनुसार अग्रिमों का समायोजन रजिस्टर में त्वरित दर्ज कराया जाना चाहिये।

पैरा 73.1 में निर्दिष्ट अन्य सभी अग्रिम उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण की प्राप्ति पर समायोजित किये जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन अग्रिमों सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के तत्काल बाद प्राप्त कर लिए जाते हैं,पैरा 93.1 के अनुसार लेखा बहियों में ये अग्रिम तब तक अग्रिम बने रहैगे जब तक कि उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण प्राप्त नहीं हो जाते तथा लेखा बहियों में समयोजित नहीं कर दिये जाते।

कार्यालय के अग्रिम सम्बन्धी लेखा-अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया है कि कार्यालय द्वारा अपने स्तर से खण्ड (BRC)संकुल (CRC)स्कूल प्रबन्ध समिति (SMC)को अग्रिम के रूप में दी जा रही धनराशि के लिए पैरा 74.1 में निर्देशित संलग्न-VI के अनुसार अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है जिसके कारण यह प्रमाणित/जॉच करना कठिन है कि वर्ष 2017-18 के अन्त में कितनी धनराशि का समायोजन हुआ है तथा माह फ़रवरी 2019 तक कितनी धनराशि का समायोजन निर्धारित समय पर नहीं किया गया।कार्यालय के receipt and payment accounts for the year end at 31st March 2018 के Annexure 'B' की जॉच में पाया गया कि DIET, Bageshwar; KGBV Uttarauda(kapkote); Advance to Gram Nidhi's and civil work निम्न अग्रिमों का समायोजन लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं हुआ था।

DIET Bageshwar	रु 118296.00
KGBV Uttarauda(Kapkote)	रु 157507.65
Advance to Gram Nidhi's	रु 60000.00
Civil Work	रु 24516570.00
Total	रु 2,48,52,373.00

इस प्रकार रु 248.52 लाख की धनराशि का निर्धारित समयावधि में समायोजन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर में कहा कि वर्तमान में कार्मिकों के कमी एवं कार्यों की अधिकता के कारण अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया जा सका है तथा समायोजन के सम्बन्ध में सभी आवश्यक अभिलेख ैडब् से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा तथा भविष्य में अग्रिम धनराशि निर्गत करते समय निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः रु 248.52 लाख की धनराशि के विभिन्न अग्रिमों के असमायोजित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- कार्यालय ज़िला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर को वर्ष - 2009-10 ,2015-16 2016-17 ,2017-18 एव 2018-19 मे 90% भारत सरकार द्वारा एवं 10% राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों मे वित्त पोषित/स्वीकृत धनराशि क्रमश: रु 663.25 लाख के सापेक्ष र 610.18 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र संप्रेक्षा समाप्ती तिथि -02/2019 तक विभिन्न ब्लॉको/ग्राम निधियो द्वारा इकाई को उपलब्ध न कराने के संबंध मे ।

कार्यालय ज़िला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 , 2015-16 , 2016-17 , 2017-18 एव 2018-19 की अवधि मे 90% भारत सरकार द्वारा एवं 10% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/स्वीकृत धनराशि के र 663.25 लाख के सापेक्ष संचलित विभिन्न ब्लॉक स्तर के अंतर्गत आने वाले UPS एवं PS स्कूल मे क्लास -01 से 08 वी क्लास तक के छात्र एवं छात्राओ को निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निशुल्क गरवेश(uniform) वितरण, कम्यूनिटी mobilization activity कार्यक्रम योजनायो एवं ग्राम निधियो से करवाए गए कार्यो के क्रियावनयन की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि इकाई द्वारा वर्ष 2009-10 ,2015-16 , 2016-17 , 2017-18 एव 2018-19 मे ज़िला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान योजना बागेश्वर द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण , निशुल्क गरवेश(uniform) वितरण एवं कम्यूनिटी mobilization activity योजना का इकाई द्वारा संचालन किया गया था जिसमे से निम्न कार्यो/योजनाओ के उपयोगिता प्रमाण पत्र संप्रेक्षा समाप्ती तिथि -02/19 तक इकाई को विभिन्न ब्लॉको/ग्राम निधियो द्वारा अप्राप्त थे ,जिनका विवरण निमन्वत है।

क्रम संख्या	वर्ष,	योजना का नाम	इकाईस्कूल्स/ब्लॉक/ का नाम	उपियोगिता प्रमाण पत्र संप्रेक्षा समाप्ती तिथि तक 19/02- मे (लाख)
01	10-2009	ग्राम निधि योजना	Ps Gansi,UPS Khabdoli,UPS MAKHARGAON,UPS	9.25

			Gansi,GHS KHALJHUNI,PS DHAPOLASERA	
02	2015-16	सर्व शिक्षा अभियान योजना	निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण , निशुल्क गरवेश)uniform) वितरण,कम्यूनिटी mobilization activity	150.04=12.37+97.88+39.79
03	-2016-17	सर्व शिक्षा अभियान योजना	निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण , निशुल्क गरवेश)uniform) वितरण,कम्यूनिटी mobilization activity	144.54=11.00+95.27+38.27
04	18-2017	सर्व शिक्षा अभियान योजना	निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण , निशुल्क गरवेश)uniform) वितरण,कम्यूनिटी mobilization activity	133.25 =19.74+91.16+22.35
05	19-2018	सर्व शिक्षा अभियान योजना	निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण , निशुल्क गरवेश)uniform) वितरण,कम्यूनिटी mobilization activity	173.10=00.+121.81+51.29
	योग			610.18

उक्त प्रकरण मे विभिन्न ब्लॉको/ग्राम निधियो के द्वारा र 610.18 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराना एवं इकाई द्वारा कार्य समाप्ती रिपोर्ट की निगरानी मे शिथिलता बरती गयी थी ।इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इकाई से पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि ₹ 610.18 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दिये जायगे। इकाई का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा वर्ष 2009-10 ,2015-16 , 2016-17 , 2017-18 एव 2018-19 मे ज़िला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा योजना बागेश्वर द्वारा संचलित निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण , निशुल्क गरवेश(uniform) वितरण एवं कम्यूनिटी mobilization activity योजना का इकाई को 90% भारत सरकार द्वारा एवं 10% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/स्वीकृत धनराशि ₹ 663.25 लाख के सापेक्ष ₹ 610.18 लाख की धनराशि के व्यय के सापेक्ष शून्य धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र इकाई स्तर से संप्रेक्षा समाप्ति तिथि (02/19) तक उपलब्ध नहीं कराये गए थे जबकि वित्तीय नियमो के अनुसार विभिन्न ब्लॉकों/ग्राम निधियो से इकाई को निर्गत अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र एक माह अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ती पर उपलब्ध करा दिये जाने चाहिए थे, जिससे विभिन्न ब्लॉको/ग्राम निधियो के द्वारा प्राप्त धनराशि ₹ 610.18 लाख का समायोजन उनके द्वारा इकाई को प्राप्त कराया जाता। इकाई द्वारा कार्य समाप्ती रिपोर्ट(MPR) की निगरानी मे भी शिथिलता बरती गयी थी।प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 - : सर्व शिक्षा अभियान योजना की राज्य share की (10%) धनराशि से प्राप्त ब्याज र184824.60 को अनियमित रूप से बचत खाते मे रखना एवं संप्रेक्षा तिथि-(02/2019 तक) राजस्व खाते मे जमा न करना ।

कार्यालय ज़िला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि इकाई द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि जो 90% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थी एवं (10%) राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थी ।,उक्त राज्य share की (10%) धनराशि से प्राप्त ब्याज र 184824.60 की धनराशि बचत खाते मे रखी गयी थी जिस पर निम्न वर्षो मे इकाई द्वारा ब्याज प्राप्त किया गया था जिसका विवरण निम्नवत है ।

क्रम संख्या	योजना का नाम	वर्ष का नाम	ब्याज की धनराशि मे (लाख)	बैंक का नाम आईएफ़सीसी/खातासंख्या/code/ब्याज प्राप्ति मद
01	सर्व शिक्षा अभियान	16-2015	63795.80	पंजाब नेशनल बैंकबचत खाता संख्या -/-4816000100002798 /0049-ब्याज प्राप्ति संघ राज्य क्षेत्रकी सरकारो की ब्याजप्राप्ति /राज्य-04- अन्य-800 -प्राप्तियाप्राप्तियाँअन्य प्रकीर्ण प्राप्तिया-12-
02	सर्व शिक्षा अभियान	17-2016	43264.50	Saving bank ACCOUNTNO/-4816000100002798 पंजाब नेशनल बैंक /-/0049-ब्याज प्राप्तिसंघ राज्य क्षेत्रकी /राज्य-04- अन्य-800 -सरकारो की ब्याज प्राप्तियाप्राप्तियाँअन्य प्रकी-12- र्ण प्राप्तिया
03	सर्व शिक्षा अभियान	18-2017	40°38941	पंजाब नेशनल बैंक /Saving bank बचत खाता संख्या4816000100002798 -0027980049-ब्याज प्राप्तिसंघ राज्य क्षेत्रकी सरकारो की /राज्य-04- अन्य-800 -ब्याज ब्याज प्राप्तियाप्राप्तियाँप्राप्तिया अन्य प्रकीर्ण-12-
04	सर्व शिक्षा अभियान	19-2018	38822.90	Saving bank ACCOUNTNO/-4816000100002798 पंजाब नेशनल बैंक /-/0049-ब्याज प्राप्तिसंघ राज्य क्षेत्रकी /राज्य-04-

				सरकारो की ब्याज प्‍राप्तिया अन्य-800 -प्राप्तियाँ अन्य प्रकीर्ण-12- प्राप्तिया
		योग	184824.60	

उक्त प्रकरण मे कार्यालय ज़िला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना की राज्य share की (10%) धनराशि को न तो शासन से बचत खाते मे रखने हेतु अनुमति प्राप्त की न ही 03 वर्षो मे उक्त अर्जित ब्याज को राज्य सरकार के ब्याज राजस्व खाते- 0049-ब्याज प्राप्ति -04-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रकी सरकारो की ब्याज प्राप्तिया- 800-अन्य प्राप्तियाँ -12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्ति मे जमा कराने का कोई प्रयास किया गया था । संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा' उक्त के सम्बंध मे तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुऐ संप्रेक्षा को अवगत कराया गया है कि उक्त राज्य share की (10%) धनराशि रु 184824.60 को आविलम्ब राज्य सरकार के ब्याज राजस्व खाते - 0049-ब्याज प्राप्ति -04-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रकी सरकारो की ब्याज प्राप्तिया- 800-अन्य प्राप्तियाँ -12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्त मे जमा कराने हेतु शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किये जायंगे । । विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं है ,क्योकि विभाग द्वारा बचत खाते मे राज्य शेयर की की (10%) धनराशि रु 184824.60 को रखने के संबंध मे शासनादेश का पालन नहीं किया था क्योकि राज्य सरकार मे ब्याज की धनराशि को परियोजना grant के सापेक्ष समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
07-2006//56	01,02	01.02,03	-
14-2013/167	-	01,02,03	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा उक्त प्रस्तरों की बाबत अपनी अनुपालन आख्या मे इस कार्यालय को अवगत कराया है कि संदर्भित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या मुख्य शिक्षा अधिकारी से संस्तुति कराकर संप्रेक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------------"शून्य" -------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग ,उत्तराखण्ड (लेखापरीक्षा) सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय ज़िला परियोजना आधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों काआभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गय**

क्रम सं0	/ नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री हीरा लाल गौतम	ज़िला परियोजना आधिकारी	तक 15/07/31 से 14/08/20
2.	श्री प्रमोद तिवारी	परियोजना आधिकारी	तक 15/09/21 से 15/08/01
3.	श्री आकाश सारस्वत	परियोजना आधिकारी	तक 17/12/28 से 15/09/22
4.	श्री पूनम चौहान	परियोजना आधिकारी	तक 18/01/31 से 17/12/29
5.	श्री नरेश शर्मा	परियोजना आधिकारी	तक 18/04/01 से 18/02/01
6.	श्री अकिल अंसारी	परियोजना आधिकारी	तक 18/07/02 से 18/04/02
7.	श्री पूनम चौहान	परियोजना आधिकारी	तक 18/08/20 से 18/07/03
8.	श्री अकिल अंसारी	परियोजना आधिकारी	तक 18/11/18 से 18/08/21
9.	श्री नरेश शर्मा	परियोजना आधिकारी	से वर्तमान तक 18/11/19

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय ज़िला परियोजना आधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)